# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 176/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00002)**

हाकम अली पुत्र सदीक खां जाति कलाल मुसलमान निवासी वार्ड नं. 9 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. जमीला पुत्री शान मोहम्मद पत्नी आजम अली जाति अराई मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (फौत)
   1/1 आजम अली (पति जमीला) पुत्र मोहम्मद खान जाति राठ मुसलमान निसासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. अब्दुल शकुर पुत्र शान मोहम्मद जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (फौत)
   2/1 मु. लतीफा पत्नी अब्दुल शकूर
   2/2 मन्जूर अली पुत्र अब्दुल शकूर
   2/3 सकीना पुत्री अब्दुल शकूर
   2/4 प्रवीन पुत्र अब्दुल शकूर
   2/5 नसरीन पुत्री अब्दुल शकूर
   2/6 शमसाद बेगम पुत्री अब्दुल शकूर
3. ग्राम पंचायत रामसरा चक 26 एनटीआर पंचायत समिति नोहर जरिये सरपंच
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

**उपस्थितः**
1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अनिल सोनी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1/1
3. श्री ज्ञानसिह विश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 ता 2/6

3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 06.04.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) नोहर के निर्णय दिनांक 26.10.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट जमीला ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में आदेश दिनांक 20.03.2014 व उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक इन्तकाल सं. 544 के विरूद्व अपील पेश कर उसे अपास्त करने निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2016

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार कर ग्राम पंचायत रामसरा का आदेश दिनांक 20.03.2014 जिसके द्वारा नामान्तकरण सं. 544 को तस्दीक किया गया है को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयो के द्वारा पारित स्थगन आदेश की जाच कर उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट हाकम अली द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि वादगत भूमि मौजारोही चक 28 एनटीआर के पुराना खाता संत्र 5/9 व नया खाता सं. 41 के पत्थर नं. 321/420 के मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 16 से 25 तादादी 10 बीधा, पत्थर नं. 319/421 के मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 25 तादादी 1 बीधा, पत्थर नं. 320/421 के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 1 से 25 तादादी 25 बीधा, पत्थर नं. 324/421 के मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 1, 10, 11, 20 से 22 तादादी 6 बीधा, पत्थर नं. 321/422 के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 1 से 3, 7 से 11 तादादी 8 बीधा, पत्थर नं. 320/422 के मुरब्बा नं. 59 के किला नं. 2 से 9 व 12 से 19 तादादी 17 बीधा, कुल तादादी 67 बीधा यानि 16.028 हैक्टर नहरी खातेदारी में से 24 बीधा 13–2/3 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.04.2012 से रेस्पोडेन्ट नं. 2 से उसके नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड के अनुसार क्रय किया है एवं प्रर्ण प्रतिफल राशि अदा की है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं. 544 दिनांक 20.03.2014 ग्राम पंचायत रामसरा द्वारा तस्दीक किया गया। जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 जमीला ने अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील में मियाद के प्रार्थना पत्र का जवाब व प्रतिशपथ पत्र देकर खण्डन किया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर किसी प्रकार का निर्णय दिये बिना आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवाद का मुख्य बिन्दु यह रहा

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कि ग्राम पंचायत रामसरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 किसी स्थगन आदेश से प्रभावित था या नही। उक्त बिन्दु रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्रथम अपील मे उठाया था तथा उसे ही यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2014 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित बाध्यकारी स्थगन आदेश से बाधित था। ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है। कानून के मान्य सिद्वान्तो के अनुसार इन्तकाल की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है उसमें किसी प्रकार के अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता। अपीलान्ट सद्भाविक क्रेता है, वादगत भूमि पूर्ण प्रतिफल राशी देकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से जरिये रजिस्ट्र्ड विक्रय पत्र खरीद की है, विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल सं. 544 दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा ग्राम पंचायत रामसरा का आदेश दिनांक 20.03.2014 एव नामान्तकरण सं. 544 दिनांक 20.03.2014 को बहाल रखा जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ली जाती है तो हमें कोई ऐतराज नही है।
6. रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 ता 2/6 के विद्वान अभिभाषक ने भी बहस के दौरान कहा कि न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ली जाती है तो हमें कोई ऐतराज नही है।
7. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
8. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2016 के द्वारा चक 28 एन.डी.आर के नामान्तकरण सं. 544 दिनांक 20.03.2014 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन प्रकरणो मे स्थगन आदेश के चलते नामान्तकरण सं. 544 को निरस्त करते हुए प्रकरण को

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार नोहर को प्रति प्रेषित किया है। अपील में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर कोई निर्णय पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया को मुख्य आधार बनाया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने के कारण अपील को अन्दर मियाद मानते हुए ही निर्णय पारित किया हुआ माना जावेगा। साथ ही अपील के पैरा सं. 7 में वर्णित किया कि पक्षकारान् के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है। कानून के मान्य सिद्वान्तो के अनुसार इन्तकाल की कार्यवाही एक Fiscal कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार के अधिकार एवं स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। अपीलान्ट जो कि एक सद्भाविक क्रेता है वादगत भूमि पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर रेस्पोडेन्ट नं. 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने स्वय स्वीकार किया है कि पक्षकारान् के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है तथा इन्तकाल की कार्यवाही Fiscal कार्यवाही है। अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र पर भी पंजीयन के समय इस आशय का नोट अंकित है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर